



2026:AHC:66162

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 48177/2025

राम प्यारे और 4 अन्य

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : ऐश्वर्य कांत, अर्चना श्रीवास्तव

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जी.ए., संपन्ना कुमार, उदय सिंह यादव

न्यायालय संख्या - 79

माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना,

1. अभियुक्त/आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता सुश्री अर्चना श्रीवास्तव, श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।
2. तत्काल आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत मामला अपराध संख्या 477/2008 से उत्पन्न आपराधिक मामला संख्या 6190/2023 (राज्य बनाम राम सिंह और अन्य) भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506, 427 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7, पुलिस स्टेशन- सोरांव, जिला- प्रयागराज (इलाहाबाद) जो अतिरिक्त

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 9, इलाहाबाद की अदालत में लंबित है, जिसकी पूरी कार्यवाही को भी रद्द करने की मांग करने के लिए दायर किया गया है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक और विरोधी पक्ष संख्या 2 रिश्तेदार और पड़ोसी भी हैं। दोनों पक्षों के बीच विवाद था, जिसके कारण वर्ष 2008 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। चूंकि पक्षकार परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन्होंने आपसी मतभेद भुला दिए हैं। पक्षों ने समझौता कर लिया है, जो आवेदन के पृष्ठ संख्या 44 पर है। इसलिए, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करता है।

4. राज्य के लिए विद्वान एजीए कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करते हैं यदि पक्षों द्वारा दी गई परिस्थितियों में समझौता दायर करने के लिए विचारण न्यायालय से संपर्क करते हैं।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303** के मामले में पक्षकारों में और एक गैर-शमनीय मामले में किए गए समझौते पर विचार करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की तुलना में उच्च न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार पर विचार किया है और कहा है कि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना है और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। प्रासंगिक पैराग्राफ 61, जो उस मामले के विहंगम दृश्य को दर्शाता है जिसमें उच्च न्यायालय को कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, नीचे दोहराया गया है: -

"..... अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी आपराधिक कार्यवाही या प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए आपराधिक अदालत को दी गई शक्ति से अलग और अलग है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अंतर्निहित शक्ति व्यापक प्रचुरता की है जिसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग इस तरह की शक्ति में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन्तु मामलों में, आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित ध्यान रखना चाहिए। मानसिक अनैतिकता के जघन्य और गंभीर अपराधों या हत्या, बलात्कार, डकैती, आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध आदि; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन भारी और पूर्व-प्रमुख रूप से सिविल पक्ष वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग स्तर पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अपराध या दहेज से संबंधित विवाह, आदि से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और पक्षकारों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते और समझौता के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित होगा या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना पीड़ित और गलत काम करने वाले के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में होगा.....”

6. क्या पक्षों (सूचक, पीड़ित और अभियुक्त) ने समझौता किया है, विचारण न्यायालय द्वारा सबसे अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार, पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं और तीस दिनों के भीतर पक्षों के बीच किए गए समझौते को दर्ज कर सकते हैं, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल को अपने अभिलेख में रखेगा।

7. यदि सूचक, पीड़ित और आरोपी हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं और इसके सत्यापन के लिए अदालत के समक्ष पेश होते हैं तो विचारण न्यायालय द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपात स्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय अपना दिमाग लगाएगा और उचित आदेश पारित करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. **साठ दिनों** की अवधि के लिए, विचारण न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित रखा जाएगा, यदि समझौता दायर किया जाता है और निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापित किया जाता है, अन्यथा, विचारण न्यायालय विचारण के साथ जारी रहेगा।

9. सभी पक्ष, जो समझौता दायर करते हैं और इसे सत्यापित करते हैं, फिर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दायर करेंगे।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528/ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन का तदनुसार **निपटारा** किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना,)

30/03/2026

शिवांगी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”